FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद जिला कोटा

मीना बाई वगैरा बनाम सरकार

मुकदमा नम्बर सन् 47/2025

किस्म मुकदमा इजराय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2025	इजराय प्रार्थना पत्र, प्रार्थीनीगण मीनाबाई की ओर जरिये अधिवक्ता हरिशंकर मेघवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। इजराय प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर पारित निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार दीगोद को पत्र जारी हो। मिसल वास्ते पालना रिपोर्ट इन्तजार में दिनांक 15.04.2025 को पेश हो। [signature]	
15/4/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 31/07/25 को पेश हो।	
31/7/25	पत्रावली पेश हुई वकील सरकार उप०। इजराय पालना प्राप्त हुई। जो शामिल फाईल की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

मूल वाद मे डिक्री

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस)

उनवान

1. मीना बाई पुत्री बिरधा पत्नी राकेश उम्र 40 साल जाति मेघवाल निवासी भूडेन हाल निवासी प्रताप नगर बोरखेड़ा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. सपना कुमारी पुत्री बिरधा संजय उम्र 45 वर्ष जाति मेघवाल निवासी भूडेन हाल निवासी नयाखेड़ा कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राजस्थान।

(वादीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर 166/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ दीपक महावर आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुददई रूबरू मिनजानिब मुददालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भूडेन तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीगण के शामलाती खाते में खाता संख्या 64 रकबा 273 रकबा 0.28 हैक्टयर भूमि में वादी संख्या 1 मैना के स्थान पर मीना बाई उर्फ मैना बाई एवं वादी संख्या 2 संजू बाई के स्थान पर सपना कुमारी उर्फ संजू बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0
मिलान	0	0

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0
मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर
दीगोद

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
166/24 —	06.02.2024	28.02.2025

पीठासीन अधिकारी – दीपक महावर (आर.ए.एस.)

1. मीना बाई पुत्री बिरधा पत्नी राकेश उम्र 40 साल जाति मेघवाल निवासी भूडेन हाल निवासी प्रताप नगर बोरखेड़ा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. सपना कुमारी पुत्री बिरधा संजय उम्र 45 वर्ष जाति मेघवाल निवासी भूडेन हाल निवासी नयाखेडा कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राजस्थान।

(वादीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीगण की और से :– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

:– निर्णय :–

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम भूडेन तहसील दीगोद कोटा में वादीगण के शामालाती खाते में खाता नम्बर 64 खसरा नम्बर 273 रकबा 0.28 हैक्टयर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी संख्या 1 का नाम गलत रूप से मैना व वादी संख्या 2 का नाम संजू बाई दर्ज है। वादीगण का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम वादी संख्या 1 का मैना व वादी संख्या 2 का नाम संजू बाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिंया गया है जबकि वादी संख्या 1 का वास्तविक नाम मीना बाई व वादी संख्या 2 का नाम सपना कुमारी है तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादी संख्या 1 का नाम मीना बाई व वादी संख्या 2 का नाम संजू बाई है वादी संख्या 1 का खाते में गलत रूप से मीना बाई के स्थान पर मैना व वादी संख्या 2 का नाम सपना कुमारी के सीन पर संजू बाई दर्ज होने से वादीगण को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है वादीगण का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र राशन कार्ड, पेन कार्ड बैंक डायरी आदि में वादी संख्या 1 का नाम मीना बाई व वादी संख्या 2 का नाम सपना कुमारी है वादीगण का नाम ग्राम भूडेन तहसील दीगोद की खसरा संख्या 273 रकबा 0.28 हैक्टयर भूमि की जमाबन्दी में वादी संख्या 1 का नाम मीना बाई के स्थान पर मैना व वादी संख्या 2 सपना कुमारी के स्थान पर संजू बाई गलत दर्ज होने से वादीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिये किसान क्रेडिट कार्ड लेने से वंचित हो रहे है। वादीगण को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानून अधिकार है इसलिए वादी मैना

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

के स्थान पर मीना बाई व संजू बाई के स्थान पर सपना कुमारी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं। प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम मीना बाई के स्थान पर मैना व वादी संख्या 2 सपना कुमारी के स्थान पर संजू बाई का नाम दर्ज कर दिया हैं जो गलत है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम मैना बाई के स्थान पर मीना बाई व वादी संख्या 2 संजू बाई के स्थान पर सपना कुमारी दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड दुरस्त किया जाना आवश्यक है इस संबंध में वादीगण ने प्रतिवादी से दिनांक 28.01.2024 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया जिस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 28.01.2024 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दुरूस्त नहीं करने की कहने पर पैदा हुआ। प्रतिवादी भूमि का लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है उपरोक्त मामला अर्जेन्ट नेचर एवं इमीलिएट रिलीफ से संबंधित होने के कारण प्रतिवादी को धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस नहीं दिया गया है वाद पत्र के साथ नोटिस पेश किया जा रहा है। अतः वादीगण ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम भूडेन तहसील दीगोद कोटा में वादीगण के शामालाती खाते में खाता नम्बर 64 खसरा नम्बर 273 रकबा 0.28 हैक्टयर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी संख्या 1 मैना के स्थान पर मीना बाई व वादी संख्या 2 संजू बाई के स्थान पर सपना कुमारी दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयो। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादीगण का नाम मैना के स्थान पर मीना बाई एवं संजू बाई के स्थान पर सपना कुमारी दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भूडेन तहसील दीगोद कोटा में वादीगण के शामालाती खाते में खाता नम्बर 64 खसरा नम्बर 273 रकबा 0.28 हैक्टयर भूमि में वादीगण का नाम मैना के स्थान पर मीना बाई उर्फ मैना बाई एवं संजू बाई के स्थान पर सपना कुमारी उर्फ संजू बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा
दीगोद